यालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

ा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/13	1.3.2013	7.9.22

उनवान

इरिराम आयु 65 साल पुत्र रामस्वरूप (मृतक)

1 सुरेन्द्र पुत्र हरिराम

2 नरेन्द्र पुत्र हरिराम

3 मेवा बेवा हरिराम

4 शकुंतला पुत्र हरिराम

5 शारदा पुत्री हरिराम

6 मनोजदेवी पुत्री हरिराम

अमरसिंह आयु 47 साल पुत्र रामस्वरूप

श्रीमती संतोष आयु 55 साल बेवा रामदास जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा ला अलवर हाल आबाद किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:—वादीगण

बनाम

इन्दराज पुत्र श्री नित्यानंद जाति जागी

जसराम पुत्र श्री नित्यानंद जाति जोगी

श्रीमती श्रवण बेवा उमराव जाति जोगी (मृतक)

श्रीमती बसंती पुत्री उमराव जाति जोगी

श्रीमती लाली पुत्री उमराव जाति जोगी

श्रीमती रामरत्तो बेवा विक्रम जोगी

प्रदीप पुत्र विक्रम जाति जोगी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

संदीप पुत्र विक्रम जाति जोगी निवासी मदवापुर तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर
ब

ाज. राज्य जरिये तहसीलदार (भूअभिलेख) लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास

:–असल प्रतिवादीगण

चरणजीत पुत्र रामदास अहीर

संदीप पुत्र रामदास जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा नाबालिग बसरपरस्तो मती संतोष बेवा रामदास जाति अहीर निवासी बाई हाल आबाद किशनगढ़बास पूरपहाड़ो
;

श्रीमती कान्ता पुत्री रामदास पत्नी राजेश जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील रोड़ जिला अलवर राज0

:– तरतोबो प्रतिवादीगण

दावा इश्तहारक मय हुक्मइम्तनाई दावामी

उपस्थितिः–1. श्री अभयसिंह वकील वादीगण की ओर से ।

2. श्री जर्नाधन शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 7.9.22

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 320/285 रकबा 0.5100 हेक्टर अज किस्म बारानी वाके ग्राम मदवापुर तहसील किशनगढ़बास जिला लवर के खातेदार काबिज काश्कार हैं, मय दुरुस्ती इन्द्राज जमाबंदी सम्वत–2049 लगायत ाल मय हुक्म इम्तिनाई दवामी मशअरे इसके कि प्रतिवादीगण असल, वादीगण व तरतीबी तिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 320/285 रकबा 0.5100 हेक्टर वाके मदवापुर सेबबर व खिलाफ कानून बेदखल न करे, फसल बोने काटने एवं समस्त कृषि कार्य में रुकावट दा न करे, कब्जा काश्त में मजाहमत न करे, आराजी को जर्ये रहन, बय, हिबा आदिसे क्तकिल न करे, तथा किसी प्रकार खुर्द बुर्द न करे, वादीगन स० 1 व 2 तथा वादनी सं० 3 पति व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता रामदास पुत्र रामस्वरूप मृतक ने असल प्रतिवादीगण ं० 1 व 2 प्रतिवादी सं० 3 के पति व प्रतिवादीनिया सं० 4 व 5 के पिता व प्रतिवादिनी सं०

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

के ससुर व प्रतिवादीगण सं० 7 व 8 के दादा उमराव जाति जोगी निवासी ग्राम मदवापुर सील किशनगढ़बास जिला अलवर से छप्पन हजार रूपये अंकेन 56,000 रू. रोकड़ी में ाजी खसरा नम्बर 20/285 रकबा दो बीघा (तदनुसार 0.5100 हेक्टर) अज किस्म बारानी ाम वाके ग्राम मदवापुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा ांक 30–6–1992 खरीद की है, और अपना हल चलाकर मौके पर उसी दिन वास्तविक जा आराजी प्राप्त कर लिया। वादीगन एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं० 10,11 व 12 तागन} आराजी खसरा नम्बर 320/285 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मदवापुर के तारीख 30. 1992 खातेदार काबिज है और मौके पर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। वाद में रोक्त आराजी को विवादित आराजी से संबोधित किया जावेगा।

आराजी खसरा नम्बर 320/285 रकबा दो बीघा अंकेन दो बीघा वाके ग्राम मदवापुर सील किशनगढ़बास के क्रेतागण वादी सं० 1 व 2 तथा रामदास मृतक के वारिसान ीगण व तीरतीबी प्रतिवादीगण समभाग में है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी में वादी सं० 1 राम का 1/3 भाग, वादी सं० 2 अमरसिंह का 1/3 भाग, और रामदास मृतक के वारिसान दीनी सं०3 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं० 10, 11 व 12 का 1/3 भाग खातेदारी व कब्जा श्त है। विवादित आराजी का नामान्तकरण बाबत बय वादीगण व क्रेता रामदास के पक्ष में र्ज किए जाने हेतु रजिस्टर्ड बयनामा पटवारी हल्का को दे दिया, किन्तु कुछ समय पश्चात दीगण सं० 1 व 2 के भाई रामदास पुत्र रामस्वरूप का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय ्चात विक्रेता उमराव पुत्र नित्यानंद जोगी का स्वर्गवास हो गया। इसलिए पटवारी हल्का ने मान्तकर पदर्जनही किया और पटवारी हल्का हम क्रेतागण अर्थात वादीगण व तरतीबी तेवादीगण को विश्वास दिलाता रहा कि वह नामान्तकरण दर्ज करके संबंधित ग्राम पंचायत थवा तहसीलदार महोदय के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर देगा, किंतु पटवारी हल्का ने सा नहीं किया। वादीगण ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.6.92 के आधार पर नामान्तकरण तागण अर्थात वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज कराने हेतु तहसीलदार होदय किशनगढ़बास को भी बार–बार निवेदन किया। किंतु उन्होंने भी नामान्तकरण की बत कोई कार्यवाही नहीं की। रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.6.1992 के आधार पर नामान्करण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

केतागण अर्थात वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज नहीं किए जाने के कारण
ाजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2049 से जमाबंदी हाल सम्वत 2064 तक राजस्व रिकॉर्ड में
केतागण अर्थात प्रतिवादीगण असल संख्या 1 लगायत 8 के नाम का अंकन खिलाफ कानून
खिलाफ मौका होता चला आ रहा है। इसलिए वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण न्यायालय
मान से घोषणात्मक डिक्री बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसके
धार पर राजस्व रिकॉर्डस संबंधित जमाबंदियों में अपने को खातेदार काश्तकार अंकित कराने
अधिकारी है।

वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 320/285 रकबा 2 बीघा {तदनुसार
;100 हेक्टर } वाके ग्राम मदवापुर के खातेदार काश्तकार हैं काबिज है और मौके पर काश्त
र रहे हैं। प्रतिवादीगण असल सं० 1 लगायत 8 का उपरोक्त आराजी में कोई राइट,
इटल, व इन्ट्रेस्ट नहीं है, किंतु संबंधित जमाबंदियों अर्थात जमाबंदी संवत 2050 से 2064
क गलत अमल होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। वादीगण ने असल प्रतिवादीगण
। बार–बार कहा कि राजस्व रिकॉर्डस जमाबंदियों में उनके नामों के गलत अंकन को दुरुस्त
रा दें और वे कहते रहे कि वे स्वयं दुरुस्त करा देंगे, किंतु तारीख 15.05.2008 को उन्होंने
जस्व रिकॉर्डस जमाबंदियों के गलत अंकन को दुरुस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया।
सलिए वाद अविलम्ब न्यायालय में पेश है।

वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 320/285 रकबा 2 बीघा ग्राम
दवापुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर के खातेदार काश्तकार हैं किंतु राजस्व रिकॉर्ड
माबंदी में प्रतिवादीगण असल के नामों का खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अंकन हो जाने
कारण उपरोक्त आराजी को अन्य व्यक्तियों के पक्ष में विक्रय करने का सौदा बय करने की
स्तजू में है और तारीख 20–04–2008 को समझाया और कहा कि उपरोक्त आराजी के
क्रय की बाबत कोई इकरारनामा या सौदाबय करने का कोई अधिकार उनको नहीं है, किंतु
तिवादीगण असल ने कहा कि वे आराजी का बयनामा अन्य लोगों के पक्ष में करायेंगे।
सलिए वादीगण न्यायालय से प्रतिवादीगण असल को जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी पाबन्द
राने के अधिकारी हैं। अतः दावा हुक्म ईम्तनाई दवामी करना लाजिम आया। दिनांक 15.05.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

8 को असल प्रतिवादीगण ने उनके नाम का जो अंकन आया है उसको दुरुस्त कराने से
ह इन्कार कर दिया है। दिनांक 22.05.2008 को बावजूद उनको मना करने बेचान आराजी
भी ऐलानियत तौर पर हमको आराजी विवादित बेचान करने की धमकी दी है। कब्जाकाश्त
ीगण वो तरतीबी प्रतिवादीगण में मजाहत मताखलत आदि पैदा करने की धमकी दी है। कि
तारीख दावा हाजा के लिए बिनाए दावी वो बिनाए मुखासमत पैदा होकर दावा हाजा अंदर
याद पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद बहक वादीगण वो तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल
तिवादीगण 1 लगायत 8 वाद निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

) इजाय डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादीगण वो तरतीबी प्रतिवादीगण
रुद्ध असल प्रतिवादीगण इस कदर पारित की जावे कि आराजी हाल खसरा सं० 320/285
कबा 2 बीघा {तदनुसार 0.5100 हेक्टर} अज किस्म बारानी दोयम वाके ग्राम मदवापुर
सील किशनगढ़बास जिला अलवर राज० के 1/3 भाग का वादी सं० 1 हरिराम को,
/3 भाग वादी सं०2 अमरसिंह को तथा 1/3 भाग रामदास मृतक के वारीसान वादिनी सं०
संतोष वो तरतीबी प्रतिवादी सं० 10 लगायत 12 को खातेदार मालिकान घोषित किया जावे
या जमाबंदियात राजस्व रिकॉर्ड में जो असल प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम का अंकन
ना आ रहा है, उसको हजफ किया जाकर राजस्व पत्राआदि हाल जमाबंदीयात में हम
दीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम का अमल दरामद फरमाया जावे।

ा) डिक्री इजाय हुक्म ईस्तनाई दवामी बहक वादीगण वो तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल
तिवादीगण इस कदर पारित की जावे कि विवादित आराजी खसरा सं० 320/285 रकबा 2
बा { तदनुसार 0.5100 हेक्टर} वाके ग्राम मदवापुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर
ज० के कब्जा काश्त वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण में असल प्रतिवादीगण किसी प्रकार
मजाहमत मदाखलत पेदाना करे रहनबय आदि से किसी प्रकार खुर्द बुर्द मुन्तकिल ना करे,
राजी उक्त वादीगण वो तरतीबी प्रति० को जोतने बोने फसल काटने समेटने में किसी
कार से रुकावट पैदा न करें राजस्व रिकॉर्ड मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

हरजा खर्चा वादीगण वो तर० प्रति० को असल प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

न्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो सादिर फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये ्स तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाब पेश कर बताया कि आराजी न0 320/285 रकबा 0.51 हेयर तन्हा खातेदारी वो कब्जा काश्त की आराजी है। शेष ान गलत प्रकार से ब्यान किया गया है जो अस्वीकार नही है। मुतनाजा आराजी को मिन वादीगण के पति, पिता एवं दादा उमराव जौगी व मिन प्रति0 ने अपने जीवन काल मे ोगण या तर0 प्रतिवादीगण के बुजुंर्गो को बेचान नही किया, ना ही दिनांक 30.6.92 को जा आराजी दिया गया, ना प्रतिफल प्राप्त किया। ना वादीगण वो तर0 प्रतिवादीगण काबिज ाजी है। बल्कि मिन जबाबदारान आराजी के रिकार्डेड खातेदार है एवं मौके पर काबिज मृतक उमराव द्वारा प्राप्त की , बल्की उमराव अनपढ वो अज्ञान व्यक्ति था जो सीधा साधा जिसकी बिला जानकारी के मुतनाजा आराजी का फर्जी तरीके से काई बयनामा वादीगण मृतक रामदास ने आपस में मिल्लत वो साजबाज होकर करा लिया हो तो उससे मिन ाबदारान कतई तौर पर पाबन्द नही है। इंन्द्राज 2049 विधिवत मौके कब्जानुसार दर्ज माया गया है। और ताहाल जमाबंदीयो में तो अंकन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रहा है वो ी प्रकार से दर्ज किया हुआ है। मुतनाजा आराजी ख0न0 320/285 रकबा 0.51हे0 वाके वापुर तह0 किशनगढबास के प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है पूर्व में आराजी का उमराव ा हरफूल खातेदार था, जिसके मरने के बाद मिन प्रतिवादीगण काबिज खातेदार है। और राजी की बाबत समस्त हक हकूक राईट इंटेस्ट प्रतिवादीगण असल को प्राप्त है। वादीगण र काबिज गैर वास्ता है जिनका मुतनाजा आराजी या उसके कब्जे काश्त से लेना देना रोकार वास्ता नही है। दिनांक 15.5.2008 की कहानी वादीगण ने मनमाने तरीके से मिथ्या र्ज जिमन की है। पिछले 17 वर्षो से वादीगण अथवा तर प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को जागर नही किया। वादीगण ग्राम बाई में नही रहते है। ना ही उनका आराजी मुतनाजा पर ब्जा है। जो किशनगढबास में मय परिवार के रहते है। आराजी ग्रम मदवापुर पर मिन तिवादीगण काबिज वो दलील है। अतः वादीगण कोई दुरूस्ती दन्द्राज करा पाने के अधिकारी ही है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

ब वादीगण मौजूदा वाद पोशिदा बयनामा 30.6.92 के आधार पर लेकर आये है। जो गण का वाद चलने योग्य नही है विवादित आराजीयात के मिन प्रतिवादीगण काबिज दार है, और मौके पर काबिज वा दलील है जिनके नाम मौका कब्जा के आधार पर स्त दर्ज हुई है , जमाबंदीयात में अंकन आया हुआ है। फसल प्रतिवादीगण मौके पर बोते करते आ रहे है। ऐसी सूरत मे वादीगण कोई दुरूस्ती इन्द्राज करा पाने के अधिकरी नही और ना ही उन्हे मिन प्रवितादीगण के नाम हजफ करा पाने का कानूनी हक प्राप्त है। ीगण गैर वास्ता एवं गैर काबिज आराजी है। जिन्हे पौशिदा बयनामा के आधार पर कोई ; कानूनन प्राप्त नही होते , ना ही कोई हानि हो रही है। अतः वादीगण कोई म्इम्तनाईदवामी की डिक्री विरूद्व प्रति0 प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद वादीगण बिले खारिज है।

जबाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई दीगण ने साक्ष्य में सुरेंन्द्र पुत्र हरिराम पीडब्लू–1,बचनसिंह पुत्र इन्द्रसिह के बयान कराये था दस्तावेजी साक्ष्य जमांबंदी सवत 2072–75 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सवत 2039 प्रदर्श 2, नकल बयनामा 30.6.1992 प्रदर्श –3, नकल संवत 2064–67 प्रदर्श –4 पेश किये है। तिवादीगण ने साक्ष्य में तीन शपथ पत्र पेश किय। डीडब्लू–1 इन्द्राज स्वंय का शपथ पत्र, नरू पुत्र निवाज खां डीडब्लू–2, रामप्रकाश पुत्र मालाराम डीडब्लू–3 पेश किया तथा स्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से कोई सबूत पेश नही किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने मौखिक एवं लिखित बहस में ाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। कील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दाहराते हुए बताया कि बयनामा ैनांक 30.6.1992 फर्जी है दावा वादीगण द्वारा 2008 पेश किया गया। बयनामा के 16 वर्ष ाद दावा पेश किया है। तथा विक्रेता के जीवनकाल में वादी ने दावा पेश नही किया। ादीगण द्वारा पेश बयनाम फर्जी है। अतः दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
विजयनगर (अजमेर)

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार वन निम्न प्रकार से है:–

की नं0 1–

आया आ0ख0न0 320/285 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मदवापुर वादीगण के जो द्वारा दिनांक 30.6.92 को खरीद कर वक्त खरीद से वादीगण काबिज होकर काश्त ते चले आ रहे है ? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल नामा दिनांक 30.6.92 से साबित होता है कि आराजी वादीगण की खरीदशुद्वा खातेदारी की राजी है तथा उक्त बयनामा में वादीगण को आराजी विवादित का कब्जा विक्रेता द्वारा भलाया गया है। तथा वादीगण ने वाद में भी स्वयं का कब्जा बताया है। वादीगण द्वारा पेश हान ने भी विवादित आराजी पर वादीगण की कब्जा काश्त है। वादीगण कानूनन इस राजी के खरीददार खातेदार है। प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी का अंकन विधि विरूद्व है ो हजफ किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती ।

नकी नं0–2

आया वादीगण अपने आपको खरीद दार काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा अपनेआप का अमल बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। ? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा से साबित है के विवादित आराजी वादीगण के बजुर्गान की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की आराजी है। क्योकि लेकिन वादीगण के नाम इंतकाल दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है। लेकिन बयनामा से साबित है कि आराजी वादीगण की खरीदशुद्वा कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार कराने के अधिकरी है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 3

आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार वादीगण पर था । तनकी नं01 किये गये विवेचनानुसार यह तथ्य साबित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

के वादीगण आराजी विवादित पर वक्त खरीद से काबिज काश्त चला आ रहा है। ोगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित होता है। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण द्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

की नं0–4

आया प्रति0 वो तर0प्रति0 के बजुर्गान उमराव ने वादीगण के बुजुर्गान को राजी विवादित का भी बेचान नही किया। वादीगण का बयनामा दिनांक 30.6.92 फर्जी वो ाइंगी है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने फर्जी बयनामा बाबत ई सबूत पेश नही किये। बयनामा फर्जी था तो प्रतिवादीगण को बयनामा खारिज कराने के ए सिविल न्यायालय मे बयनामा खारिज का वाद दायर करना चाहिए था। लेकिन तिवादीगण ने वाद मे ऐसा कोई दस्तोवज पेश नही किया जिससे साबित हो कि बयनामा र्जी है। तथा ना ही ऐसी कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया कि प्रति0 वो तर0प्रति0 के ुर्गान ने वादीगण के बुजुर्गान को बेचान नही किया। जिससे साबित है कि आराजी वादित वादीगण की खरीदशुद्वा आराजी है। ओर ना ही फर्जी बयनामा बाबत कोई सबूत पेश या यह तनकी स्वतः ही विरूद्व प्रतिवादीगण जाती है।

नकी नं0–5

आया आराजी विवादित पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादीगण गैर ाबिज गैर वास्ता आराजी है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था । तनकी नं0 1 व 2 रूद्व प्रतिवादीगण तय की जा चूकि है। इसलिए ये तनकी स्वतः ही विरूद्व प्रतिवादीगण ाती है।

तनकी नं0– 6,7

आया वाद वादीगण काबिल खारिज है? तनकी नं0 4 व 5 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की ा चूकि है। इसलिए यह तनकी स्वतः ही विरूद्व प्रतिवादीगण जाती है। जिन पर विवेचन

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

जाने की आवश्यकता नही रही है। तनकी नं0 6, 7 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वादीगण का वाद भली भांति साबित ा है। वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वादी वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी न0 हाल 320/285 रकबा 2 बीघा (0.51 हे0) वाके ग्राम मदवापुर तहसील किशनगढबास ला अलवर के 1/3 भाग का वादी सं0 1 हरिराम (मृतक) के वारिसान का, 1/3 भाग ी सं0 2 अमरसिंह का, तथा 1/3 भाग रामदास मृतक के वारिसान प्रतिवादी सं 3 व 0प्रतिवादी सं0 10 लगा 12 को खरीददार काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। ा जो अमल जमाबंदीयात में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किये जाने आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद ोगण स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

याालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषित:– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

ा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/13	01.3.2013	7.9.22

उनवान

हरिराम आयु 65 साल पुत्र रामस्वरूप (मृतक)

/1 सुरेन्द्र पुत्र हरिराम

/2 नरेन्द्र पुत्र हरिराम

/3 मेवा बेवा हरिराम

/4 शकुंतला पुत्र हरिराम

/5 शारदा पुत्री हरिराम

/6 मनोजदेवी पुत्री हरिराम

अमरसिंह आयु 47 साल पुत्र रामस्वरूप

श्रीमती संतोष आयु 55 साल बेवा रामदास जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा जला अलवर हाल आबाद किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:–वादीगण

बनाम

. इन्दराज पुत्र श्री नित्यानंद जाति जागी

2. जसराम पुत्र श्री नित्यानंद जाति जोगी

3. श्रीमती श्रवण बेवा उमराव जाति जोगी (मृतक)

4. श्रीमती बसंती पुत्री उमराव जाति जोगी

5. श्रीमती लाली पुत्री उमराव जाति जोगी

6. श्रीमती रामरत्तो बेवा विक्रम जोगी

7. प्रदीप पुत्र विक्रम जाति जोगी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

ांदीप पुत्र विक्रम जाति जोगी निवासी मदवापुर तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर

ाज. राज्य जरिये तहसीलदार (भूअभिलेख) लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास

:–असल प्रतिवादीगण

चरणजीत पुत्र रामदास अहीर

संदीप पुत्र रामदास जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा नाबालिग बसरपरस्तो ाती संतोष बेवा रामदास जाति अहीर निवासी बाई हाल आबाद किशनगढ़बास पूरपहाडो

श्रीमती कान्ता पुत्री रामदास पत्नी राजेश जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील रोड़ जिला अलवर राज0

:– तरतोबो प्रतिवादीगण

दावा इश्तहारक मय हुक्मइम्तनाई दावामी

उपस्थिति:–1. श्री अभयसिंह वकील वादीगण की ओर से ।

2. श्री जर्नाधन शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादी वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 हाल 320/285 रकबा 2 बीघा (0.51 हे0) वाके ग्राम मदवापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर के 1/3 भाग का वादी सं0 1 हरिराम (मृतक) के वारिसान का, 1/3 भाग वादी सं0 2 अमरसिंह का, तथा 1/3 भाग रामदास मृतक के वारिसान प्रतिवादी सं 3 व तर0प्रतिवादी सं0 10 लगा 12 को खरीददार काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। तथा जो अमल जमाबंदीयात में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

नोट:– आदेश दिनांक 7-9-22 में वादी सं0 3 के सामने भूलवश प्रतिवादी सं0 3 लिखा गया इसके स्थान पर वादी सं0 3 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)